

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक- 05.05.16


संख्या-1/श्रम वि०स्था० 4-40-01/2010 श्र०सं०.....03...../सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं० 4512, दिनांक 28.3.16 एवं महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना के अधिसूचना सं० 28511-28524, दिनांक 25.4.16 के आलोक में श्री आलोक कुमार पाण्डेय, सब जज IV, सीतामढ़ी को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-7(2) के साथ पठित धारा-8 के अन्तर्गत श्रम न्यायालय, पटना में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

2. इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि अधिकतम 3 (तीन) वर्षों की होगी।

संख्या-1/श्रम वि०स्था० 4-40-01/2010 श्र०सं०.....04...../सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं० 4512, दिनांक 28.3.16 एवं 5568, दिनांक 20.4.16 तथा महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना के अधिसूचना सं० 28511-28524, दिनांक 25.4.16 के आलोक में श्री संजय कुमार संजय, सब जज I-सह-ए०सी०जे०एम०, पटना सिटी, पटना को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-7(2) के साथ पठित धारा-8 के अन्तर्गत श्रम न्यायालय, पूर्णियाँ में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

2. इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि अधिकतम 3 (तीन) वर्षों की होगी।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


5.5.16
(देव नन्दन यादव)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० 4-40-01/2010 श्र०सं०.....04...../ पटना, दिनांक-05.05.16

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/
महालेखाकार, बिहार, पटना/सम्बन्धित सभी कोषागार पदाधिकारी/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना/मा० विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त बिहार, पटना/निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, बिहार, पटना/विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार/सभी उप श्रमायुक्त, बिहार/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/अधिसूचना में नामित सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


5.5.16
सरकार के अपर सचिव।